

## FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गुलाबचन्द वर्ग 0 बनाम बाबूलाल वर्ग 0

किरम मुकदमा- इजराय

मुकदमा नम्बर- 31/2022

2541  
09/12/23

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हरताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुये
15.09.2022	<p>वकील डिक्रीदार श्री दिलीप कुमार मंगावा एड0 ने उपस्थित होकर इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.06.2022 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु (यदि प्रकरण में किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं हो तो) तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने पालना रिपोर्ट दिनांक 14.10.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>दिलीप सिंह</b>            उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर         </p>	<p style="text-align: right;">2166/254/22 16-9-2022</p>
02.09.2024	<p>पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। वकील डिक्रीदार उपस्थित। प्रकरण में कार्यालय हाजा के श्री सॉवरमल यादव भू अभिलेख निरीक्षक ने अवगत कराया कि ऑनलाईन मिलान करने पर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री की पालना तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा जरिये नामान्तकरण संख्या 2544 दिनांक 09.12.2023 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः इजराय पत्रावली को इसी स्तर पर खारीज की जाकर फ़ैसल की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;">             ( अनिल कुमार )            उपखण्ड अधिकारी            श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)         </p>	<p>ऑनलाईन मिलान क्रिया शमा। कारेहा की पालना जमा। 2544 दि. 09/12/23 द्वारा की गयी।</p> <p style="text-align: right;">             अनिल कुमार         </p>

